HRA AISIUA The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 772|

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2009 विशाख 25, 1931

No. 772]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2009/VAISAKHA 25, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2009

का.आ. 1242(अ).— कंन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनयम, 2007 (2007 का 39) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रयत्त शक्तितयों का प्रयांग करते हुए, 20 मई, 2009 की वह तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनयम की धारा 3, धारा 10, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 25, धारा 26, धारा 28, धारा 31, धारा 33, धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 38, धारा 39, और धारा 43 (धारा 53ख, धारा 53व, धारा 53ग, धारा 53व, धारा

[फा. सं. 5/4/2003-आईजीसी/सीएस] अविनाश के. श्रीवास्तव, संयुक्त सर्विव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15 May, 2009

S.O. 1242 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Competition (Amendment) Act. 2007 (39 of 2007), the Central Government hereby appoints the 20th day of May. 2009 as the date on which Sections 3, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39 and 43 (53B, 53N, 53O, 53P, 53Q, 53R, 53S, 53T and 53U) of the said Act, shall come into force.

[F. No. 5/4/2003-IGC/CS]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secv

1838 GL/2009